जनपद-संतकबीरनगर** **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनाँक 28.10.2024

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए धमकी, गाली देने व अश्लील फोटो वायरल करने के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के पर्यवेक्षण, क्षेत्राधिकारी मेहदावल ***श्री केशवनाथ*** के मार्गदर्शन मे में ***थाना मेहदावल पुलिस द्वारा*** मु0अ0सं0 060/2024 धारा 70(1), 352, 351(2) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर के मामले मे वांछित अभियुक्त शाहिद पुत्र मुहम्मद हाफिज उर्फ मुहम्मद साबिर निवासी पारावन थाना भिनगा जिला श्रीवस्ती को रोडवेज बस स्टेशन के दक्षिणी गेट के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 18.09.2024 को थाना धर्मसिंहवा पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध गाली, धमकी देने तथा अश्लील फोटो फेसबुक व इन्स्टाग्राम पर वायरल करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराय गया था। जिसकी विवेचना थाना मेहदावल द्वारा प्रचलित है। थाना मेहदावल पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर दिनांक 27.10.2024 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी निरीक्षक थाना मेहदावल श्री रामकृपाल सिंह, हे0का0 मोतीलाल यादव, का0 अंकेश यादव।

दबिश के दौरान वारण्टी 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **धनघटा पुलिस द्वारा** वारण्टी नाम पता राहुल पुत्र रमई मल्लाह निवासी सोनाड़ी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अनिल कुमार यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 94 वाहनों से 1,38,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 28.10.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 94 वाहनों से 1,38,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 10 गत्ता, 08 बोरी (वजन करीब 250 किग्रा) के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संत कबीर नगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के पर्यवेक्षण, क्षेत्राधिकारी मेहदावल ***श्री केशवनाथ*** के मार्गदर्शन में जनपद में आगामी त्यौहार के दृष्टिगत पटाखो के अवैध भण्डारण एवं बिक्री के रोकथाम हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में थाना मेहदावल पुलिस द्वारा मोहल्ला ठाकुरद्वारा से 10 गत्ता, 08 बोरी विभिन्न प्रकार के पटाखों के साथ अभियुक्त प्रमोद मौर्या पुत्र मिठाईलाल निवासी बाराखाल थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को दिनांक 28.10.2024 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया। फर्द बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर उक्त प्रकरण में थाना मेहदावल पर मु0अ0सं0 312/2024 धारा 288 बीएनएस व 9(ख) विस्फोटक अधिनियम 1884 पंजीकृत किया गया है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. प्रमोद मौर्या पुत्र मिठाईलाल निवासी बाराखाल थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरण-

1. कुल 10 गत्ता, 08 बोरी में विभिन्न ब्रांड के पटाखे वजन करीब 250 किग्रा।

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त प्रमोद मौर्या द्वारा पूछताछ में बताया गया कि यह पटाखें नन्दौर तक अलग - अलग लोगों को देने हैं, इन पटाखों को मुझे मनीष अग्रहरि निवासी गल्ला किराना मण्डी मेहदावल में बुलाकर भाड़े में भेजवा रहे थे। सारा माल उन्ही का है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण–

उ0नि0 श्री सहेन्द्र यादव, हे0का0 अशोक कुमार सिंह, का0 मिन्टु कुमार गुप्ता

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री केशवनाथ*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना बखिरा पुलिस* द्वारा** मु0अ0सं0 205/2024 धारा 363/366/376(2)N भा0द0वि0 के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता हौसिला उर्फ करीमन पुत्र शिवकुमार साकिन सजनापार थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर को आज दिनांक 28.10.2024 को साहपट्टी तिराहे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा थाना बखिरा पर वादिनी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म कारित करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बखिरा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री शम्भूराम, हे0का0 कोमल प्रसाद।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने व आर्म्स एक्ट के तहत अभियुक्त को 2 वर्ष 10 माह का कारावास तथा 500 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 28.10.2024 को ***ए0एस0जे0 प्रथम जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा *थाना महुली* पर पंजीकृत *मु0अ0सं0 342/2021* धारा 307,504,506 भा0द0वि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट के मामलें में दोषसिद्द अभियुक्त नाम पता पंकज कुमार पुत्र रुदल निवासी साखी थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के अधार पर धारा 324 भा0द0वि0 के तहत 02 वर्ष 10 माह के कारावास से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त उपरोक्त को धारा 4/25 आयुध अधि0 के अन्तर्गत 02 वर्ष के कारावास व 500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा ना करने कि दशा में अभियुक्त को 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भोगना होगा। अभि0 के दोनो आरोपो में सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गयी कोई अवधि को सजा में समायोजित की जाएगी।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दुष्कर्म के मामलें में अभियुक्त को 14 वर्ष सश्रम कारावास व 30000 हजार रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 28.10.2024 को न्यायालय ***अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट) जनपद सन्तकबीरनगर***द्वारा ***थाना दुधारा*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 51/2014 धारा 363, 366, 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट के मामलें में अभियुक्त नाम पता मनोज यादव पुत्र मंगल प्रसाद यादव निवासी पलिया सहवठी थाना कैंट जनपद अयोध्या को अन्तर्गत धारा 3/4 पाक्सो एक्ट में 14 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20,000 रु0 के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 वर्ष के साधारण कारावास से भुगतना होगा। अभियुक्त को धारा 363 भा0द0वि0 के तहत 05 वर्ष का सक्षम कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास से भुगतना होगा। अभियुक्त को धारा 366 भा0द0वि0 में तहत 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 31 सीआरपीसी द्वारा दोषसिद्ध की सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। धारा 428 सीआरपीसी के तहत दोषसिद्ध के द्वारा अभिरक्षा मे व्यतीत की गयी अवधि को इस मामले कि अवधि से मुजरा किया जायेगा।